मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांकः आर 95/प्र.स./2014/150 भोपाल,दिनांक 14 मार्च, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः—मांग संख्या 58 से राहत सहायता वितरण करने संबंधी निर्देश।
संदर्भः—राहत आयुक्त कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक 308/रा.आ./लेखा—2/2014 दिनांक 4 मार्च,2014.

......

विषयांतर्गत मांग संख्या 58 से फसल क्षति एवं अन्य क्षति के लिए राहत राशि वितरण हेतु उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी निर्देश संशोधित करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं:—

मांग संख्या 58 से फसल क्षति एवं अन्य क्षति के लिए समस्त प्रभावित कृषकों को राहत राशि का भुगतान कोर बैंकिंग के माध्यम से किये जाने हेतु पूर्व में आबंटन आदेशों में उल्लेख किया गया है। प्रकरणों में समस्त प्रभावित कृषकों के बैंक खाते नम्बर एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किए जाएं , परन्तु फसल क्षति की राहत राशि वितरण हेतु जारी किये गये परिपत्र दिनांक 1 फरवरी 2014 की कंडिका 3—क में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैं:—

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधीनस्थ जिले में निचले स्तर पर संचालित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) में कोर—बैंकिंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जिन कृषकों के द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों में अपने बचत खाते संचालित किये जा रहे हैं उन आपदा प्रभावित कृषकों को राहत राशि के भुगतान की प्रकिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

कलेक्टर द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों में बचत खाता संचालित करने वाले सभी आपदा प्रभावित कृषकों के नाम, उनके खाते कमांक, एवं समिति का सदस्यता कमांक , प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति का नाम, जिला बैंक की शाखा जहाँ समिति का खाता संचालित है, उक्त अनुसार संबंधित के खाते में जमा की जाने वाली राहत राशि के विवरण की एकजाई सूची एक्सेल शीट में समितिवार तैयार कर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 2 प्रतियों में (हार्ड कॉपी) में एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सूची में उल्लेखित संपूर्ण राहत राशि भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में जमा करायी जावेगी, तदुपरान्त जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा अपनी आंतरिक मनी ट्रांसफर प्रणाली (मेन्युअल सिस्टम) के माध्यम से सूची में उल्लेखित आपदा प्रभावित कृषकों के पैक्स में स्थित बचत खातों में राहत राशि अंतरित करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जावेगी। (इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं।)

जिन आपदा प्रभावित कृषकों के बचत खाते जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में संचालित हैं उन्हें कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे ही उनके खाते में राशि अंतरित की जाएगी।

13.3.14

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं
राहत आयुक्त,मध्यप्रदेश.

:/E/vis.Gen. letter

पृ.क्रमांक: /रा.आ./लेखा–2/2014/151/PSR/ भोपाल,दिनांक 14 मार्च, 2014

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल।
2. समस्त कमिश्नर मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. भोपाल
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

13.3.14

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव राजस्व एवं
राहत आयुक्त,मध्यप्रदेश.

:/E/vis.Gen. letter